



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102026-276747
CG-DL-E-03102026-276747

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5066]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2026/आश्विन 2, 1948

No. 5066]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2026/ASVINA 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2026

का.आ. 5273(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4410(E) तारीख 07/08/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में NH53 के कि.मी. 79.000 से कि.मी. 92.250 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन "पत्रिका" दिनांक 11 अगस्त 2026 और "द हितवाद" दिनांक 11 अगस्त 2026 दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है,

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का

पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में NH53 के कि.मी. 79.000 से कि.मी. 92.250 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: छत्तीसगढ़			जिले का नाम: रायपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: आरंग					
गांव का नाम: पारागांव					
1	900/1	निजी	पड़त	0.02	शंभुराम पिता गैतराम, पुरुषोत्तम पिता गैतराम, भूखण पिता गैतराम, भागो पति गैतराम, धर्मेन्द्र पिता उत्तम, संजू पिता उत्तम, कान्हा कुमार पिता उत्तम, आरती पिता उत्तम, सरोज पति उत्तम निषाद सा.देह भूमिस्वामी 900/1
गांव का नाम: भिलाई					
2	2185/1	निजी	सिंचित	0.01	तातुराम साहू पिता पुनित राम साहू, अंजनीबाई साहू पिता पुनित साहू जाति तेली सा. देह भूस्वामी 2185/1
Total				0.03	

[फा. सं. 597/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2026

S.O. 5273(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **4410(E) Dated: 07/08/2026**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH53 in the stretch of land from Km. 79.000 to Km. 92.250 in the district of RAIPUR in the state of CHHATTISGARH

And whereas the substance of the said notification has been published in "Patrika" dated 11th August 2026 and "The Hitavada" dated 11th August 2026 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has not received any objections filed under Section 3-C,

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH53 in the stretch of land from Km. 79.000 to Km. 92.250 in the district of RAIPUR in the state of CHHATTISGARH

State: CHHATTISGARH			District: RAIPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Arang					
Village: PARAGAON					
1	900/1	Private	PADAT	0.02	SHANBHURAM PITA GAITRAM, PURSHOTAM PITA GAITRAM, BHUKHAN PITA GAITRAM, BHAGU PATI GAITRAM, DHARMENDRA PITA UTTAM, SANJU PITA UTTAM, KANHA KUMAR PITA UTTAM, ARTI PITA UTTAM, SAROJ PATI UTTAM NISHAD SA. DEH BHUMISWAMI 900/1
Village: BHILAI					
2	2185/1	Private	Irrigated	0.01	TATURAM SAHU PITA PUNEET RAM SAHU, ANJANIBAI SAHU PITA PUNEET SAHU JATI TELI SA. DEH BHUSWAMI 2185/1
Total				0.03	

[F. No. 597/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director